# न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

*पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस*

मुकदमा नम्बर 34/019 तारीख रजू 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली :-प्रार्थी

बनाम

1 कलुआ पुत्र चौवे
2 छुट्टन पुत्र चोवे
3 तेजराम पुत्र रामरतन
} समस्त जातियान मीना निवासीयान गाजीपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली
2 बैक ऑफ बडौदा शाखा करीरी

– अप्रार्थीयान

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 07.08.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 338,339,342,343,319/677 रकवा 0.45 है0.ग्राम चक गाजीपुर तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 113/1 रकवा 1 वीघा 15 विस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन तलाई के रूप मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2039 से 42 यह भूमि चौखे , रामरतन पिसरान घुडया जाति मीना के नाम जरिये आवंटन से खातेदारी मे दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वार गत खसरा नम्बर 113/1 का नवीन खसरा नम्बर 338,339,342,343,319/677 रकवा 0.45 है0.बनाकर हाल जमाबंदी मे अप्रार्थीयान के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नही होते है। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिबिल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि खसरा नम्बर 338,339,342,343,319/677 रकवा 0.45 है0.वाके ग्राम चकगाजीपुर को वापिस राजकीय भूमि गैरमुमकिन तलाई को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिऐ प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, नकल जमाबंदी सम्बत 2000 से 19, 2039से 2042 ,2071 से 74 ,मिलान क्षेत्रफल ,हाल जमांबदी खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस पेश पेश की है।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी नं. 4 जरिये बकालान्तन उपस्थित आया ओर जबाब पेश किया अपने जवाव कथन में कहा की विवादित आराजी खातेदारी होने पर बैक के रहन है जब तक ऋण बसूनी नही होगा बैक को नुकसाान होगा शेष अप्रार्थीयान अनुपस्थित है। इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील अप्रार्थी संख्या 4 की बहस सुनी। दोराने बहस अपने कथन जवाव को दोहराते हुए कहा की बैक राष्ट्रीयकृत बैक है। खातेदार द्वारा इस भूमि पर ऋण लिया गया है भूमि सिवायचक हो गई तो बैक को नुकसान होगा प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत जवाव एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बत 2039 से 2042 की खाता सख्या 01 मे आराजी खसरा नम्बर 113/1. रकवा 1 वीघा 15 विस्वा भूमि गैरमुमकिन तलाई के नाम से दर्ज रिकार्ड था जो कि इस आराजी मे से रकवा 1 वीघा 15 विस्वा भूमि नामान्तकरण संख्या 229 दिनांक 31.01.1983 से आवंटन हुई। ओर बाद में अप्रार्थीयान के नाम आराजी खसरा नम्बर 338,339,342,343,319/677 रकवा 0.45 है0.. खातेदारी स्वीकृत हुयी थी हाल जमाबंदी सम्बत 2071 से 74 मे अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर काबिज है। जहा पर वकील अप्रार्थी का कथन है कि इस आराजी पर बैक का ऋण बकाया है। बहा पर मुताविक जमाबंदी सम्बत 2070 से 2073 में अप्रार्थीयान के नाम इस रकवे के अलावा अन्य काभी आराजी है उससे बैक की बसूली हो सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील,तालब,नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते है। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय मे उल्लेख किया हैं कि All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammened accordingly. माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका मे पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 338,339,342,343,319/677 रकवा 0.45 है0..ग्राम चकगाजीपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली कि भूमि को बापिस मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2026 से 2029 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन तलाई दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।